



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08042022-234996
CG-DL-E-08042022-234996

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16]
No. 16]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 8, 2022/चैत्र 18, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 8, 2022/CHAITRA 18, 1944

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2022

आ.अ. 16(अ).— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) के उपबन्धों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा यह निर्देश देता है कि राजस्थान राज्य में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 13 सितंबर, 2018 अधिसूचना सं. 434/राज.-लो.स./2018(2) में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे।

उक्त अधिसूचना में संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में, स्तम्भ संख्या 1 में उल्लिखित विधानसभा क्षेत्रों के सामने स्तम्भ 2 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी।

तालिका

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	सहायक रिटर्निंग अधिकारी
1	2
16-जोधपुर	2. उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, लोहावट
	6. उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जोधपुर (उत्तर)

[फा. सं. 434/राज.-लो.स./2018(2)]

आदेश से,

राहुल शर्मा, प्रधान सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th April, 2022

O.N. 16(E).— In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby directs that the following amendment shall be made in the Notification No. 434/RJ-HP/2018(2) dated 13th September, 2018 as amended from time to time relating to the appointment of Assistant Returning Officers for Parliamentary Constituency in the State of Rajasthan.

In Column 2 of the table appended to the said Notification for the existing entry in column 2 against item given in column 1 the following entries shall be substituted:-

TABLE

No. & Name Parliamentary Constituency	Assistant Returning Officer
1	2
16-Jodhpur	2. Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Lohawat
	6. Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Jodhpur (North)

[F. No. 434/RJ-HP/2018(2)]

By Order,

RAHUL SHARMA, Principal Secy.